बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

दिनांक–13–15 जून, 2016 को प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में 10 असैनिक कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (असैनिक) के साथ सम्पन्न विभागीय कार्यो की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

- कार्यपालक अभियंता, बेतिया जिला में वरीय पदाधिकारी के बैठक होने के कारण भाग नहीं ले सके। इसकी सूचना इनके द्वारा विभाग को पूर्व में उपलब्ध करा दी गई थी।
- श्री किशोरी लाल बैठा, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में दूरभाष पर की गई पृच्छा के आलोक में इनके द्वारा बताया गया कि मुझे इसकी सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

  अतः बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में एक सप्ताह में अपना स्पष्टीकरण ~~[illegible]~~ विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

  अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, समस्तीपुर।

बैठक में प्रधान सचिव द्वारा निम्न निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया :–

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

  अतः एक सप्ताह के अंदर बैठक की कार्यावली के अनुसार प्रतिवेदन अपने स्पष्टीकरण के साथ मुख्यालय को उपलब्ध करावेंगे।

  अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व।

- पूर्व में मुख्यमंत्री चापाकल योजना अंतर्गत निर्मित चापाकलों पर स्थल अनुशंसित करने वाले माननीय विधायक का नाम, निर्माण वर्ष, संवेदक का नाम एव मोबाईल नं0 अंकित करने का निदेश दिया गया था, जिसका पूर्णरूपेण अनुपालन कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नहीं कराया गया है। माननीय विधायकों की अनुशंसा पर निर्मित चापाकलों की सूची संबंधित माननीय सदस्य को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए।

  अतः सभी कार्यपालक अभियंता इसका अनुपालन अविलंब सुनिश्चित करावें एवं जहाँ इसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेवार कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक का नाम मुख्यालय को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- मुख्यमंत्री चापाकल योजना एवं अन्य योजना के अंतर्गत निर्मित चापाकलों, जिसमें 5 वर्षो का परिचालन रख–रखाव शामिल है, के तहत सभी चापाकलों का परिचालन एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जाय। इस कार्य हेतु संवेदक को भुगतान संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त ही किया जाय।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- सभी प्रमंडलों में चलन्त चापाकल मरम्मति दल के द्वारा चापाकलों की मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि चापाकल मरम्मति का कार्य सूचारू रूप से नहीं कराया जा रहा है।

  अतः सभी कार्यपालक अभियंता ~~प्रति सप्ताह~~ मरम्मत कराये गये चापाकलों की सूची माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, जिला पदाधिकारी एवं मुख्यालय को प्रत्येक शुक्रवार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- कार्यपालक अभियंता विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से संबंधित संशोधित प्रपत्र–III (संलग्न) में अतिरिक्त कॉलम जोड़कर निर्मित जल मीनार के संबंध में विवरणी, गृह जल संयोजन की संख्या, प्रावधानित/ चालू स्टैण्ड पोस्ट की संख्या एवं योजना परिचालन एंव रख–रखाव करने वाले एजेन्सी यथा यांत्रिक/असैनिक से संबंधित विवरणी भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरोपरान्त दि0–30.06.16 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

  ज्ञातव्य हो कि स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा जल मीनार की स्थिति की जाँच कराई जा रही है। गलत सूचना पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- पूर्व की बैठक में प्रमंडल अंतर्गत स्वीकृत मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त एवं कार्य करने योग्य (Workable) स्थल दि0–30.04.16 तक फर्म को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नहीं किया गया है।

  इस आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछने एवं संबंधित सहायक अभियंता का वेतन तब तक रोक रखे जाने का निर्णय लिया गया, जब तक फर्म को उपयुक्त स्थल उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

  निर्मित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की अद्यतन स्थिति एवं उसके O&M में संलग्न एजेन्सी/विभाग के संबंध में सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध करावें।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- पुंज लॉयड एवं एस0पी0एम0एल0 द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की कार्रवाई की समीक्षा की गई और पाया गया कि बेगूसराय एवं मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत इस कार्य हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन को क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस कर दिया गया है।

  अतः कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय एवं मुंगेर एक सप्ताह के अंदर त्रुटी का निराकरण कर दि0–25.06.16 तक (प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदनोपरान्त) निविदा प्रकाशन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पुंज लॉयड एवं एस0पी0एम0एल0 द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर, योजना के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु आवंटित फर्म को योजना हस्तगत करावें।

  अनुपालनः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- बैठक में गुणवत्ता प्रभावित टोलों/ग्रामों/पंचायतों की विवरणी कार्यपालक अभियंताओं को हस्तगत कराया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया कि पूर्व में इसे Soft copy में भेजा जा चुका है।

  इस विवरणी को भौतिक सत्यापन के पश्चात् आवश्यक सुधारोपरान्त दि0–30.06.16 तक मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से संबंधित टोलों/ग्रामों/पंचायतों की विवरणी कार्यपालक अभियंताओं को हस्तगत कराया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया कि पूर्व में इसे Soft copy में भेजा जा चुका है।

  इस विवरणी को भौतिक सत्यापन के पश्चात् आवश्यक सुधारोपरान्त दि0–30.06.16 तक मख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा आश्वस्त किया गया कि पाईप लिकेज के कारण बंद बखरी पूर्वी एवं बखरी पश्चिमी जलापूर्ति योजना के लिकेज की मरम्मति दो सप्ताह के अंदर कराकर जलापूर्ति इस माह के अंत तक चालू करा दी जाएगी।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय।

- कुछ जलापूर्ति योजनाएँ छोटी–मोटी खराबी के कारण बंद रहती है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि ऐसी योजनाओं को शीघ्र चालू कराया जाय एवं आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जाए।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता।

(दिनेश कुमार)
मुख्य अभियंता—सह—प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

ज्ञापांक—6 / वि01—10194 / 16— 1666 दिनांक— 28/06/16

प्रतिलिपि—

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव / मुख्य अभियंता (ना0) / मुख्य अभियंता (रूपां0) / मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) / संयुक्त सचिव (प्र0को0) / अधीक्षण अभियंता (मो0) / विशेष पदाधिकारी / कार्य0 अभि0 (मो0—I) / कार्य0 अभि0 (मो0—II) / निदेशक सी0 सी0 डी0 यू0 / निदेशक (जल—गुणवत्ता) / उप निदेशक (मू0) / उप निदेशक (अन्वेषण) / कार्य0 अभि0 (मो0 / मू0) / सहायक अभियंता (मो0) / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0टी0 मैनेजर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेव—साईट पर अपलोड करें।

(दिनेश कुमार)
मुख्य अभियंता—सह—प्रभारी अनुश्रवण कोषांग

ज्ञापांक—6 / वि01—10194 / 16— 1666 दिनांक— 28/06/16

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(दिनेश कुमार)
मुख्य अभियंता—सह—प्रभारी अनुश्रवण कोषांग